सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्याः 6030 / 1014 / 2016 दिनांक : 23.06.2017

श्री रणवीर कुमार R1875
पुत्र – श्री रामानंद राय (शिक्षक)
ग्राम – जेठुली (रेडियो स्टेशन के नजदीक)
पोस्ट – कच्ची दरगाह, भाया – फतुहा
पटना – 803201 (बिहार) वादी

बनाम

नागालैंड विश्वविद्यालय R1876
(द्वारा) रजिस्ट्रार
पोस्ट – लुमामी, जिला – जुनेहीबोटो
नागालैंड – 798627 प्रतिवादी

सुनवाई की तिथियां : 15.02.2017, 03.05.2017 एवं 16.06.2017 ।

उपस्थित :

- श्री रणवीर कुमार, शिकायतकर्ता।
- प्रो. मिथिलेश कुमार सिन्हा, वित्त अधिकारी, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री रणवीर कुमार, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) ओबीसी के पद के लिए दिव्यांगजन को विज्ञापन के अनुसार आरक्षण न देने से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 07.03.2016 व 18.04.2016 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का अपनी शिकायत में कहना था उन्होंने दिनांक 01.02.2016 को सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) के पद पर चयन हेतु साक्षात्कार दिया था। साक्षात्कार के उपरांत वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि यदि विज्ञापन के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया तो उनका चयन निश्चित हैं क्योंकि वह साक्षात्कार से पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने दिनांक 02.02.2016 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन साक्षात्कार में प्रदान किए गए अंक नागालैंड विश्वविद्यालय से मांगे लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। प्रथम अपील के उत्तर में भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अंत में निराश होकर उन्होंने इस न्यायालय में शिकायत की।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 22.08.2016 को उठाया गया। प्रतिवादी के पत्र दिनांक 05.10.2016 एवं वादी के टिप्पण दिनांक 15.11.2016 के मद्देनज़र दिनांक 15.02.2017 को सुनवाई रखी गई।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

4. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि नागालैण्ड विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसमें सहायक प्रोफेसर के तीन पद विकलांगजनों के लिए आरक्षित थे। शिकायतकर्ता ने उक्त पद के लिए आवेदन दिया। शिकायतकर्ता साक्षात्कार का पत्र प्राप्त होने पर उसमें सम्मिलित हुआ। उसका साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ था लेकिन शिकायतकर्ता का उक्त पद के लिए चयन नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उसके द्वारा प्राप्त साक्षात्कार के अंकों की जानकारी मांग जोकि प्रतिवादी द्वारा नहीं दी गई। इसके पश्चात् उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को इस संबंध में आवेदन दिया लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। अंत में उसने इस न्यायालय में अपनी शिकायत प्रस्तुत की। अतः निवेदन है कि उसके मामले पर विचार करके उसे न्याय प्रदान किया जाए।

5. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कहना था कि शिकायतकर्ता की प्रशासनिक–सह–शैक्षिक स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार में निम्न स्तर की ग्रेडिंग होने के कारण शिकायतकर्ता का सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) ओबीसी केटेगरी के पद पर चयन नहीं हो सका। विकलांगजन होने के आधार पर शिकायतकर्ता चयन का दावा नहीं कर सकता जबकि ग्रेडिंग एवं साक्षात्कार में उसका प्रदर्शन स्वीकार्य मानदण्डों में निम्न स्तर पर था। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उसके आवेदन दिनांक 09.01.2016 और 02.02.2016 द्वारा मांगी गई सूचना विश्वविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 19.05.2015 के अनुसार अंतरिम पत्राचार होने कारण ग्रहण नहीं की जा सकती। शिकायतकर्ता द्वारा उसके पत्र दिनांक 30.03.2016 द्वारा डा. अनुज कुमार के नियुक्ति आदेश (जिनका चयन ओबीसी केटेगरी में मैरिट सूची में प्रथम स्थान पर था) पर रोक लगाने संबंधी उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका नियुक्ति आदेश 29.03.2016 को जारी किया गया था। मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई दिनांक 03.05.2017 को रखी गई और प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वे (1) समूह क, ख, ग और घ के संबंध में दिनांक 01.01.1996 से आरक्षण रजिस्टर की प्रति संपर्क अधिकारी के इस प्रमाणपत्र के साथ कि आरक्षण रजिस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है (2) 01.01. 1996 से भरी गई रिक्तियों का विवरण भेजें (3) बैंकलाग रिक्तियों की गणना करें और बैंकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई उसका विवरण भेजें।

6. दिनांक 03.05.2017 की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा कि विपक्षी ने न्यायालय को गुमराह किया है चूंकि पहली सुनवाई जो कि दिनांक 15.02.2017 को हुई थी उसमें विपक्षी ने शिकायतकर्ता की प्रशासनिक–सह–शैक्षिक स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार में निम्न स्तर की ग्रेडिंग होने के कारण सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) ओ.बी.सी. केटेगरी के पद पर चयन न होने का कारण बताया था जबकि दूसरी सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये, उसके अनुसार प्रार्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण थे। प्रार्थी का यह भी कहना था कि अगर विज्ञापन के अनुसार दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता तो वह आवश्यक नियुक्त हो जाते।

7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कहना था कि रोस्टर के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित तीन पद थे जिसमें पहला Education (शिक्षा) (जिसमें एक ओ.एच. दिव्यांग की नियुक्ति हो चुकी है), दूसरा Agronomy (कृषि विज्ञान) – जिसमें कोई आवेदन नहीं आया और तीसरा भौतिक शास्त्र – जिसमें भी कोई आवेदन नहीं आया। प्रतिवादी को आगे कहना है कि हिन्दी विभाग में 05 आवेदन पत्र आए थे जो कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे इस वर्ग में चयन बोर्ड के recommandation के आधार पर डॉ अनुज कुमार जो कि ओ.बी.सी. कैटागिरी के है उनकी नियुक्ति हो चुकी है।

8. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एवं जो दस्तावेज प्रार्थी एवं विपक्षी ने सुनवाई दिनांक 03.05.2017 के दौरान पेश किये है उनको अध्ययन करने के बाद यह पाया गया था कि नागालैंण्ड विश्वविद्यालय पोस्ट बेस रोस्टर बना रहे हैं जोकि गलत है इसलिए यह न्यायालय अगली सुनवाई 15.06.2017 के लिए निर्धारित की।

9. दिनांक 15.06.2017 को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात्, निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है:–

- नागालैण्ड विश्वविद्यालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 15 के अनुसार रोस्टरों का रखरखाव करें।
- रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें; और बैकलॉग रिक्तयों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरें।
- भविष्य में कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन–मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के कार्यालय ज्ञापन. संख्या – 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 25 के अनुसार विज्ञापन दें।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त